छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
<u>दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर-492002</u>

क्रमांक 206 /एल-8-04/2010/ब-4/चार रायपुर, दिनांक 02/02/2011

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
वन / पंचायत एवं ग्रामीण विकास / वित्त /योजना, आर्थिक एवं सांख्यकीय / गृह/ जेल / लोक निर्माण / राजस्व एवं आपदा प्रबंधन / आवास एवं पर्यावरण / खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण /नगरीय प्रशासन एवं विकास / महिला एवं बाल विकास / सामान्य प्रशासन / स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण / संस्कृति विभाग मंत्रालय, रायपुर.

विषय:-तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान हेतु राज्य उच्च अधिकार समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 12 जनवरी, 2011 का कार्यवृत्त ।

----0000----

विषयांतर्गत राज्य उच्च अधिकार समिति की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

2. तेरहवें वित्त आयोग के संबंध में भारत सरकार के दिशा निर्देश, राशि की विमुक्ति एवं अन्य संबंधित जानकारी वित्त विभाग के वेबसाईट **http://cgfinance.nic.in** पर उपलब्ध है ।

संलग्न-उपरोक्तानुसार ।

2/2/11
(प्रशांत लाल)
शोध अधिकारी
वित्त विभाग

पृ. क्रमांक 207 /एल-8-04/2010/ब-4/चार रायपुर, दिनांक 02/02/2011

प्रतिलिपि-

1. संचालक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग, ब्लाक नं. -11, 5 वीं मंजिल, सी.जी.ओ.कांप्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
2. स्टाफ आफिसर, छ.ग. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, रायपुर .
3. श्री बघेल, प्रोग्रामर, एफ.एम.आई.एस. मंत्रालय, रायपुर.

2/2/11
शोध अधिकारी
वित्त विभाग

तेरहवें वित्त आयोग अनुशंसा अनुदान हेतु दिनांक 12/01/2011 को आयोजित राज्य उच्च अधिकार समिति की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 12 जनवरी, 2011 को राज्य उच्च अधिकार समिति की द्वितीय बैठक प्रभारी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हुई । बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है। बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

(1) वन संरक्षण -

वर्ष 2010-11 के लिये विभाग को प्राप्त राशि ₹ 51.39 करोड़ हेतु प्रस्तुत की गई विभागीय कार्ययोजना का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया, जिसमें वाहन क्रय हेतु प्रावधानित राशि ₹ 140.00 लाख को अमान्य किया गया तथा इस राशि को बिगड़े वनों के पुर्नोद्धार एवं पुर्ननिर्माण मद में व्यय करने के निर्देश विभाग को दिये गये ।

अनुमोदित कार्ययोजना अनुसार निम्नांकित मदों में राशि व्यय की जावेगी :-

(राशि ₹ लाख में)

1.	नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में फॉरेस्ट पोस्ट का निर्माण	1200.00
2.	महत्वपूर्ण कार्यालयों में जनरेटरों की स्थापना	160.00
3.	सामुदायिक संगठन एवं क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण	70.00
4.	ग्रामीण अधोसंरचना का उन्नयन एवं वन ग्रामों का विकास	600.00
5.	गरीबी उन्मूलन एवं आय वृद्धि संबंधी गतिविधियां	500.00
6.	वन सड़कों का उन्नयन	1119.00
7.	बिगड़े वनों का पुनरूद्धार एवं पुर्ननिर्माण	1140.00
8.	सर्वेक्षण एवं कार्ययोजना का निर्माण	
9.	पौधारोपण	
10.	बिगड़े बांस वनों का पुर्ननिर्माण	350.00
11.	शोधन केन्द्रों की स्थापना/शेड कार्य	
	योग	5139.00

(कार्यवाही वन विभाग)

(2) यू.आई.डी./स्वास्थ्य संरचना का सुदृढ़ीकरण/क्षमता निर्माण/पुरातत्व संरक्षण/जिला नवाचार निधि एवं प्रशासन अकादमी का निर्माण -

प्रभारी मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि भारत शासन से प्राप्त दिशा-निर्देश अनुसार शीघ्र कार्यवाही की जाकर एक सप्ताह के अंदर प्रस्ताव वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जावे ।

(कार्यवाही खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/राजस्व एवं आपदा प्रबंधन/संस्कृति/सामान्य प्रशासन विभाग)

(3) **सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार-**

प्रभारी मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि भारत सरकार से अप्राप्त दिशा निर्देश को प्राप्त करने हेतु विभाग आवश्यक कार्यवाही करे ।

(कार्यवाही योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)

(4) **नगरीय निकायों को अनुदान-**

वर्ष 2010-11 हेतु राशि ₹ 43.05 करोड़ के विभागीय कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया, जिसके मुख्य मदें निम्नानुसार है :-

(राशि करोड़ में)

1.	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट	10.85
2.	स्ट्रार्म वाटर ड्रेन	14.20
3.	जल प्रदाय	8.62
4.	सेनीटेशन एवं सीवरेज	3.88
5.	डाटा सेंटर की स्थापना	5.50
	योग	43.05

प्रभारी मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि वर्ष 2011-12 से प्राप्त होने वाले सामान्य निष्पादन अनुदान एवं विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान हेतु निहित 09 शर्तों पर विभाग 31 मार्च, 2011 के पूर्व पूर्ण कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा की गयी कार्यवाही के संबंध मे भारत सरकार को अवगत करावे । नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा लोकायोग अधिनियम, 2002 में सु-शासन को शामिल करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित प्रस्ताव पर शीघ्र परीक्षण करने के निर्देश प्रभारी मुख्य सचिव द्वारा दिये गये ।

(कार्यवाही नगरीय प्रशासन एवं विकास/सामान्य प्रशासन विभाग)

(5) **पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान-**

वर्ष 2010-11 हेतु राशि ₹ 172.44 करोड़ के विभागीय कार्ययोजना का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया, जिसकी मुख्य मदें निम्नानुसार है :-

(राशि करोड़ में)

1.	स्वास्थ्य	60.36
2.	पेयजल	25.89
3.	शिक्षा	17.25
4.	पोषण	8.60
5.	विकास कार्य एवं अधोसंरचना निर्माण कार्य	43.12
6.	समाज कल्याण	3.46
7.	सौर ऊर्जा / विद्युत ऊर्जा	5.16
8.	प्रोजेक्ट मैनेजमेंट	8.60
	योग	172.44

समिति द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाले अनुदान को 70:20:10 मे ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत को वितरित किये जाने का अनुमोदन किया गया । प्रभारी मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि वर्ष 2011-12 से प्राप्त होने वाले सामान्य निष्पादन अनुदान एवं विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान हेतु निहित 09 शर्तों पर विभाग 31 मार्च, 2011 के पूर्व पूर्ण कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें तथा की गयी कार्यवाही के संबंध में भारत सरकार को अवगत कराये ।

(कार्यवाही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

(6) नया रायपुर का विकास -

वर्ष 2011-12 हेतु राशि ₹ 137.50 करोड़ के विभागीय कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया, जिसमें व्यय की जाने वाली राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

1. इकोफेन्डली विकास परियोजना - 49.80 करोड़
2. शासकीय आवासों तथा आफिस कॉम्प्लेक्स राज्य स्तरीय कार्यालयों हेतु - 87.70 करोड़

(कार्यवाही आवास एवं पर्यावरण विभाग)

(7) सड़क/पुल के रख-रखाव-

समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि वर्ष 2011-12 में प्राप्त होने वाले अनुदान राशि ₹ 69.00 करोड़ को शत प्रतिशत राशि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत संड़कों के संधारण मे किया जावे । इस हेतु कार्ययोजना तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत किया जावे ।

(कार्यवाही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

(8) आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण -

वर्ष 2011-12 हेतु राशि ₹ 37.50 करोड़ के विभागीय कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य के सभी जिलों के 1250 आंगनबाड़ी भवनों को 3.00 लाख प्रति भवन की दर से निर्माण करवाया जावेगा ।

(कार्यवाही महिला एवं बाल विकास विभाग)

(9) पुलिस प्रशिक्षण -

वर्ष 2011-12 हेतु राशि ₹ 10.50 करोड़ के विभागीय कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया, जिसमे पुलिस अकादमी, चंदखुरी हेतु ₹ 6.30 करोड़ एवं जंगलवार फेयर कालेज, कांकेर हेतु राशि ₹ 4.20 करोड़ के व्यय की कार्ययोजना है ।

(कार्यवाही गृह विभाग)

(10) पुलिस आवासीय भवनों का निर्माण -

समिति द्वारा वर्ष 2011-12 हेतु राशि ₹ 62.50 करोड़ की विभागीय कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया जिसके अंतर्गत अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों हेतु 100 आवास एवं कांस्टेबल तथा हेड कास्टेबल हेतु 550 आवासों का निर्माण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(कार्यवाही गृह विभाग)

(11) कारागार अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण -

समिति द्वारा वर्ष 2011-12 हेतु ₹ 37.50 करोड़ के विभागीय कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया, जिसके अंतर्गत 07 जेलों क्रमशः जशपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, रामानुजगंज, सूरजपुर, डोंगरगढ़ में 20 बंदी क्षमता की 17 बैरकों का निर्माण, 04 जेलों क्रमशः दंतेवाड़ा, कांकेर, जशपुर, सूरजपुर मे आर.सी.सी.डबलवाल का निर्माण, केन्द्रीय जेल रायपुर में मल्टीस्टोरी कांप्लेक्स (152 नग क्वाटर्स) का निर्माण, 07 जेलों क्रमशः राजनांदगांव, संजरीबालौद, डोंगरगढ़, गरियाबंद, रामानुजगंज, कांकेर, दंतेवाड़ा में बाउंड्रीवाल की ऊंचाई बढ़ाने संबंधी कार्य करवाया जाना प्रस्तावित किया गया है ।

(कार्यवाही जेल विभाग)

बैठक में राजस्व विभाग से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नही हुआ ।

प्रभारी मुख्य सचिव द्वारा समिति के सभी सदस्यों को वर्ष 2010-11में प्राप्त राशि का शीघ्र उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजकर भारत सरकार से प्राप्त होने वाली शेष राशि को प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया । साथ ही वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के अनुमोदित सभी कार्यो की यथा आवश्यक प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी को प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित करने के निर्देश दिये गये ताकि राशि का शीघ्र का उपयोग किया जा सके ।

अंत में अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई ।

Alpana 7/12/11

(अल्पना घोष)
सदस्य सचिव

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची

1.	श्री सरजियस मिंज	–	अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास
2.	श्री अजय सिंह	–	प्रमुख सचिव, वित्त
3.	श्री विवेक ढांड	–	प्रमुख सचिव, खाद्य
4.	श्री आर.एस.विश्वकर्मा	–	सचिव, वित्त
5.	श्री के.डी.पी.राव	–	सचिव, महिला एवं बाल विकास
6.	श्री सुब्रत साहू	–	सचिव, संस्कृति
7.	श्री पी.सी.मिश्रा	–	सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी
8.	श्री ए.एन.उपाध्याय	–	सचिव, गृह
9.	श्रीमती निधि छिब्बर	–	सचिव, सामान्य प्रशासन
10.	डॉ. तपेश चंद्र गुप्ता	–	उपसचिव, संस्कृति
11.	श्री डी.के.सहगल	–	अवर सचिव, लोक निर्माण विभाग

विभागाध्यक्ष कार्यालय

1.	श्री एस.के.पासवान	-	महानिदेशक, जेल
2.	श्री संजय पिल्ले	-	महानिरीक्षक, पुलिस
3.	श्री संजय शुक्ला	-	आयुक्त, नगरीय प्रशासन
4.	श्री आर.सी.श्रीवास्तव	-	आयुक्त, संस्कृति
5.	श्री आलोक अवस्थी	-	संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा
6.	श्री अनबलगन	-	संचालक, स्वास्थ्य सेवायें
7.	श्री एम.डब्लयू.अंसारी	-	संचालक, लोक अभियोजन
8.	श्री जी.एस.बदेशा	-	संचालक, आयुष
9.	डॉ. जे.के.उपाध्याय	-	अपर प्रधान मुख्य संरक्षक, वन
10.	श्री ए.एक्का	-	अपर संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन
11.	श्रीमती एस.बी.जे.क्लाडियस	-	अपर संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन
12.	श्री भारत सिंह	-	उपमहानिरीक्षक, जेल
13.	श्री एल.के.पाणिग्राही	-	मुख्य अभियंता, एन.आर.डी.ए.
14.	श्री विनोद कुमार लाल	-	महाप्रबंधक, एन.आर.डी.ए.
15.	डॉ. ए.के.भोईटे	-	संयुक्त संचालक, चिकित्सा शिक्षा
16.	श्री बी.एस.तिवारी	-	सहायक संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा
17.	श्री आर.आर.बांधे	-	वित्त अधिकारी, जेल मुख्यालय